



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5050 सन्
2026**

प्रदीप यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : विजित सकसेना

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अमृत राज की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।
 2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 877/2025 एफआईआर दिनांक 11.11.2025 में अग्रिम जमानत के लिए दी गई है। यह मामला आईपीसी की धाराओं 395, 447, 327, 427 और 120-बी के तहत कोतवाली कन्नौज पुलिस स्टेशन, जिला कन्नौज में दर्ज है और अभी इसका परीक्षण चल रहा है।
 3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर सूचनादाता ने दो साल की देरी से दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया है कि आवेदक और उसके साथियों ने 19.11.2023 को सूचनादाता और उसके साथियों पर तब हमला किया जब वे एक ईट भट्ठे पर बैठे थे। यह भी आरोप है कि आवेदक और उसके साथियों ने सूचनादाता से 1,50,000 रुपये भी लूट लिए।
 4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि सूचनादाता ने एफआईआर में बताया है कि वह डर के कारण पहले एफआईआर दर्ज नहीं करा सका क्योंकि आवेदक और अन्य आरोपी हिस्ट्री-शीटर हैं
- अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और प्रशासन में उनका प्रभाव है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के लिए जो कारण बताया गया है, वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। सह-आरोपी सुरजीत द्वारा मौजूदा सूचनादाता विशाल के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डी) और आईपीसी की धाराओं 307, 504, 323 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0908/2023 की एफआईआर से यह साफ पता चलता है कि उसी घटना के लिए एक आरोपी ने मौजूदा सूचनादाता के खिलाफ पहले ही क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा एफआईआर में सूचनादाता ने जो डर की बात कही है, वह भी बहुत संदिग्ध है, क्योंकि इस घटना से एक साल पहले सूचनादाता विशाल ने मौजूदा आरोपी और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0537/2024 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसलिए, यह बिल्कुल साफ है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए बताये गये सभी कारण अपर्याप्त और अविश्वसनीय हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी की वजह से आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया है। यह भी कहा गया कि आरोपी को डर है कि पुलिस उसे ऊपर बताए गए मामले में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए श्री रूपल चौबे ने कहा कि सूचनादाता विशाल की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी, और यह बात घटना के दिन यानी 20.11.2023 को आईजीआरएस पोर्टल पर सूचनादाता द्वारा भेजी गई प्रार्थना पत्र से साफ है। आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड की गई शिकायत की एक कॉपी अभिलेख पर रखी गई है। आवेदक और अन्य आरोपियों के पास से ईंटें भी बरामद की गई थीं। यह भी बताया गया कि आवेदक और अन्य सह-आरोपी आदतन अपराधी हैं और गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं।

6. विद्वान एजीए ने यह भी बताया कि आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।

8. दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी है। इसलिए, यह न्यायालय एफआईआर में लगाए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपों और आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के आधार पर उसे जमानत देने से इनकार करना उचित नहीं समझता है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2024 आईएनएससी 202**, मामले में कहा है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने मात्र से ही सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने में कोई पूर्ण रोक नहीं लगती है, और जिस आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है, वह उचित मामलों में अग्रिम जमानत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का लाभ उठा सकता है।

10. अग्रिम जमानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र मंजूर की जाती है।

11. आवेदक- **प्रदीप यादव** को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश हो, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ पर्सनल बॉन्ड भरे। आवेदक को परीक्षण खत्म होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह इन शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश होगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एसएसपी/एसपी के समक्ष जमा करना होगा।

12. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने या दी गई जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। जमानत स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1 जून, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।